मि. सं. 1–5/2006 (एस सी टी)

25 अगस्त, 2006

कुल सचिव
समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय,
मानित विश्वविद्यालय एवं अन्य
संलग्न सूची अनुसार (262)

विषयः–सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सहायता–अनुदान प्राप्त संस्थानों एवं केन्द्रों में कड़ाई से अनुपालन हेतु।

महोदय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय पर जो नवीन दिशानिर्देश जारी किये गये हैं उनकी एक प्रति आपके संस्थान द्वारा क्रियान्वयन के लिये संलग्न की जा रही हैं, अतः आप इस संबंध में आयोग को सूचित करते हुए कार्रवाई करें।

भवदीय
कृते/–
(शरणजीत सिंह)
उप सचिव

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

दिशानिर्देश

विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सहायता अनुदान प्राप्त संस्थानों एवं केन्द्रों में सरकार की आरक्षण नीति के कड़ाईपूर्वक क्रियान्वयन संबंधी दिशानिर्देश

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली

2006

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सहायता अनुदान प्राप्त संस्थानों एवं केन्द्रों में सरकार की आरक्षण नीति के कड़ाईपूर्वक क्रियान्वयन संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश

1. केन्द्र सरकार, समय–समय पर सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने के लिये विभिन्न अनुदेश जारी करती रही है, तथा यूजीसी, जो एक स्वायत्तशासी सांविधिक निकाय है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियन्त्रण में है, को सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों द्वारा इन कथित अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाये।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्र सरकार,–(उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रभाग) ने अपने आदेश मि. सं. 6–30/2005, यू–5 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्न अनुदेश जारी किये हैं:–

जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 46 में दर्शाया गया है "सरकार, विशेष सावधानीपूर्वक समाज के कमज़ोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की विषयक शिक्षा एवं आर्थिक हितों को प्रोन्नत करेगी, तथा हर प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनका संरक्षण करेगी।"

तथा जैसा कि, केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार ऐसे समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं समस्त मानित विश्वविद्यालय तथा राजकोष से जिन्हें सहायता अनुदान प्राप्त हो रहा है, उनमें अ.जा एवं अ.ज.जा. के लिये दाखिलों में आरक्षण तथा शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों में आरक्षण की प्रतिशतता क्रमशः 15% एवं 7.5% होगी।

तथा जैसा कि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को तत्पश्चात् यूजीसी के नाम से जाना जाएगा, जो एक ऐसा सांविधिक स्वायत्तशासी संगठन है जो केन्द्र सरकार की उस नीति के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी है जो केन्द्रीय एवं मानित विश्वविद्यालयी संस्थानों में दाखिलों एवं शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती हेतु सृजित की गई है।

तथा जैसा कि, यूजीसी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त मानित विश्वविद्यालयों आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में असफल रही है।

अतः अब, यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 20(1) में विहित अधिकारों के अनुपालन में एतद्द्वारा सरकार, यूजीसी को निर्देशित करती है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर समस्त केन्द्रीय एवं मानित विश्वविद्यालयी संस्थान जो राजकोष से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उनमें आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघराज्य एवं अन्य" (ऑल इन्डिया रिपोर्टर 1993 एस. सी. पृ. 447) के निर्णयानुसार सरकार द्वारा दिए गए अनुदेश सांविधिक स्वरूप वाले हैं, क्योंकि इन अनुदेशों को (अनुच्छेद 16 (4) के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु जारी किया गया है।

4. सभी विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त शोध संस्थानों एवं केन्द्रों में अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ तथा छात्रों (अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 46 एवं 253) के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु तथा उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिदेशों के अनुसार समय–समय पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि इन दिशानिर्देशो को समेकित किया जाए जिसके लिए निम्न नीति विषयक निर्देश जारी किये गये हैं:

5. समस्त विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सहायता अनुदान प्राप्त संस्थानों एवं अन्य शोध संस्थानों एवं केन्द्रों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि अपने शासी निकायों/कार्यकारी निकायों/सिंडिकेट/सीनेट आदि के द्वारा एक उपयुक्त निर्णय के आधार पर इन दिशानिर्देशों को अंगीकार करें एवं इनका त्वरित क्रियान्वयन करें।

6. <u>विस्तार एवं प्रयोजनीयता:</u>

(क) समस्त शैक्षिक पदों जैसे, प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर अथवा जिस किसी भी अन्य नाम से इन पदों को जाना जाता है तथा अन्य गैर–शैक्षिक स्टाफ पदों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सहायता प्राप्त संस्थानों एवं केन्द्रों में जो पद हैं आरक्षण लागू होगा।

(ख) शैक्षिक संस्थानों में स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर, एम. फिल. एवं पी. एच. डी. पाठ्यक्रमों के दाखिलों में आरक्षण लागू होगा, जैसा कि उपरोक्त धारा (ए) में दर्शाया गया है।

(ग) आरक्षण के मामलों में, जैसा कि उपरोक्त धारा (ए) में दर्शाया गया है, केन्द्र सरकार ने विभिन्न पदों के समूहन के लिये जो अनुदेश जारी किये हैं, यथासंभव जहाँ भी वे प्रयोजनीय हों, विशेषकर उस स्थिति में, जहाँ एक से अधिक विश्वविद्यालय एक ही अधिनियम के अन्तर्गत संचालित हो रहे हैं–अथवा जहाँ कई महाविद्यालय एक ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित हैं, पदों का समूहन अधिदेशात्मक है यदि वे पद अंतर्विश्वविद्यालयी अथवा अन्तरमहाविद्यालयी स्तरों पर अन्तरणीय हैं। विभागवार उन संवर्गों के सृजन के आधार पर आरक्षण से बचने के लिए कृत्रिम रूप से पदों की संख्या को न्यून करना निषिद्ध है।

(घ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार आरक्षण के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश जो उपरोक्त धारा (बी) में आरक्षण मामलों के संबंध में दर्शाये गए हैं; वे सभी केन्द्रीय अथवा अन्य किसी विशेष कोटा संस्थानों पर कड़ाईपूर्वक लागू होंगे जो उपरोक्त धारा (ए) में दर्शाये गए समस्त शैक्षिक संस्थानों पर विद्यमान नियमों के अनुसार स्वीकृत हैं। ये अनुदेश उन संस्थानों में दाखिलों पर भी लागू होंगे।

(ड.) अजा/अजजा के दाखिलों, भर्ती, नियुक्तियों, पदोन्नतियों एवं अन्य नियत कार्यों में जो छूट शैक्षिक योग्यताओं, आयु, अनुभव एवं अर्हक अंकों/मानकों इत्यादि में प्रदान की जाएगी, वह मौजूदा सरकारी नियमानुसार होगी।

7. <u>आरक्षण का विस्तारः</u>

(क) उपरोक्त धारा 6(ए) में दर्शाये गए समस्त शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का विस्तार अ. जा. हेतु 15% तथा अ. ज. जा. हेतु 7.5% तक प्रयोजनीय होगा।

(ख) उपरोक्त धारा (ए) में सन्निहित प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना समस्त शैक्षिक संस्थान जिन्हें उपरोक्त धारा (ए) में दर्शाया गया है तथा जिनका क्रियान्वयन किसी भी राज्य विशेष में हो रहा है, उन्हें संबद्ध राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आरक्षण की प्रतिशतता का अनुसरण करना होगा।

(ग) अ.जा/अ.ज.जा. की अपूर्त/अल्पावधि रिक्तियों को भरते समय प्रतिशतता की कोई बाध्यता लागू नहीं होगी।

8. शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टॉफ के आरक्षण संबंधी मामलों में निम्न प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रणाली के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा:

(i) अ.जा./अ.ज.जा. के प्रत्याशियों का साक्षात्कार पृथक रूप से किया जाएगा।

(ii) साक्षात्कार समिति का एक सदस्य अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से संबद्ध होगा।

(iii) संयुक्त सामान्य वरीयता सूची में अ.जा./अ.ज.जा. के समस्त चयनित प्रत्याशियों की स्थिति के अनुसार उन्हें आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता के अंतर्गत आवृत्त नहीं किया जाएगा;

(iv) आरक्षण के नियम, प्रत्यक्ष भर्ती तथा प्रोन्नत होने वाले समस्त प्रत्याशियों पर लागू होंगे अंतरविभागीय फीडर संवर्ग हेतु प्रत्याशी उपलब्ध न होने की स्थिति में उन रिक्तियों को मुक्त घोषित तथा विज्ञापित किया जाएगा, ताकि पदों की भर्ती की जा सके तथा आरक्षण की पूर्ति की जा सके।

(v) 40 बिन्दु, 100 बिंदु वाले रोस्टर यथास्थिति केवल उस संवर्ग में विद्यमान समस्त पदों पर लागू होंगे (आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य) (ऑल इंडिया रिपोर्टर 1995 सर्वोच्च न्यायालय 1371); सभी समान वेतन वाले सदस्यों को अधिशासित करने वाली वरीयता सूची द्वारा संवर्ग को ढंग से विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(vi) समस्त रिक्तियों की गणना की जाएगी तथा केवल अपूर्त रिक्तियों को छोड़कर उपरोक्त दर्शाया गये रोस्टर को लागू किया जाएगा।

(vii) आरक्षण की प्रतिशतता प्रति भर्ती वर्ष में पृथक रूप से लागू की जाएगी, न कि उस स्थिति में, जब रिक्तियाँ होती हैं, साक्षात्कार किये जाते हैं या भर्ती अथवा नियुक्ति की जाती है।

9. <u>दाखिले में आरक्षण संबंधी मामलों की प्रविधिः—</u>

(क) जैसा कि उपरोक्त धारा 6 (ए) में दर्शाया गया है, समस्त शैक्षिक संस्थानों में छात्रों के दाखिले के मामलों में जो आवश्यक परिवर्तनों सहित उपरोक्त धारा 8 की उपधारा (ए) में संदर्भित है कि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न अनुदेशानुसार निर्धारित प्रणालियाँ लागू होंगी–

(ख) दाखिला मामलों में केवल उपरोक्त धारा (ए) की उप धारा (i) (iii) ही लागू होगी तथा उपधाराएँ iv–vii लागू नहीं होंगी।

(ग) दाखिला संबंधी मामलों में निम्नलिखित प्रणालियों का भी अनुसरण किया जाएगाः

(i) अजा/अजजा का कोई भी छात्र, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित उपलब्ध सीटों का लाभ उठाने के लिए न तो दाखिला, न ही आरक्षण की माँग कर सकता है, जब तक कि वह इस उद्देश्य से राष्ट्रीय/राज्यीय/सामान्य अथवा विश्वविद्यालयी/संस्थागत परीक्षा में न बैठा हो, जैसा कि उपरोक्त धारा 6 की उपधारा (ए) में दर्शाया गया है।

(ii) ऐसे मामलों में, जहाँ राष्ट्रीय या सामान्य/राज्यीय अथवा विश्वविद्यालयी/संस्थागत परीक्षा को दाखिले के लिए प्रत्याशियों के चयन हेतु यथावश्यक निर्दिष्ट नहीं किया गया है, उस स्थिति में दाखिला पाने के इच्छुक अजा/अजजा प्रत्याशियों को उसी क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी जो मेरिट स्तर उन्होंने योग्यता परीक्षा में प्राप्त किया है।

(iii) आरक्षण संबंधी नियम स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा शोध डिग्रियों पर लागू होंगे;

(iv) प्रत्येक अकादमिक वर्ष में आरक्षण की प्रतिशतता पृथक रूप से लागू होगीं, न कि साक्षात्कार या भर्ती करते समय;

(v) जहाँ अजा/अजजा के रिक्त पदों को भरना आवश्यक है, वहाँ अंतरण के नियम इन दोनों श्रेणियों में लागू होंगें।

(vi) यदि किसी स्थिति में आरक्षित पात्र उपलब्ध नहीं है तो आरक्षित कोटे के रिक्त पदों को किसी भी गैर अजा/अजजा के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा जाएगा। उस स्थिति में अग्रणी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में वृहत प्रचार प्रसार हेतु पुनर्विज्ञापित किया जाएगा।

(vii) भावी अजा/अजजा छात्रों हेतु यूजीसी की सहायता से अग्रिम विशेष (अल्पकालीन) अनुशिक्षण प्रस्तावित किया जा सकता है।

(viii) जिन विश्वविद्यालयों में, अजा/अजजा छात्रों के प्रवेश हेतु केन्द्रीय पंजीकरण प्रस्तावित किया गया है, उनमें समस्त दाखिला प्रक्रिया केन्द्रीय स्तर पर ही अनिवार्य रूप से पूरी की जाएगी तथा निर्धारित महाविद्यालयों/संस्थानों अथवा केन्द्रों द्वारा उनके निर्देशानुसार ही यथास्थिति अजा/अजजा के रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ix) जिन संस्थानों का संदर्भ धारा 6 की उपधारा (ए) में दर्शाया गया है, वे संस्थान अजा/अजजा की छात्राओं के दाखिले में सर्वाधिक संभव प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान करेंगे।

10. <u>वार्षिक रिपोर्ट:</u>

(क) उपरोक्त धारा 6 की उपधारा (ए) में संदर्भित संस्थान ऐसे दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट दिशानिर्देशों के संलग्न प्रारूप में प्रतिवर्ष प्रत्येक आगामी वर्ष की 15 फरवरी तक उप सचिव, अजजा प्रभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को भेजेंगे तथा इसकी एक प्रति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली तथा संबद्ध राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे।

(ख) सहायता अनुदान संबंधी आवेदनों के साथ पूर्व वर्ष के भर्ती या अकादमिक वर्ष के दौरान इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट यथास्थिति संलग्न की जाएगी।

(ग) यदि उपधारा (ए) में संदर्भित रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भर्ती/अकादमिक वर्ष के दौरान इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन में किसी भी संस्थान द्वारा कोई अपूर्णता पाई जाती हैं तो उसके द्वारा आगामी वर्ष हेतु सहायता अनुदान राशि में पुनः समायोजन अथवा न्यूनीकरण करने में, यूजीसी को सहायता प्राप्त होगी।

(घ) संस्थान द्वारा अपनी प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में, एक पृथक अध्याय दिया जाए जिनमें उस वर्ष के दौरान अजा/अजजा के निष्पादन स्तर को सामान्य स्तर पर लाने के लिए किये गए उपायों एवं उपलब्धियों का संकेत दर्शाया जाएगा।

11. <u>छात्रावास में दाखिला:</u>

प्रतिशतता शीर्ष के अंतर्गत आरक्षण की प्रतिशतता के संदर्भ का छात्रावासों में दाखिले हेतु कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाएगा। अतिरिक्त सीटें इन समुदायों की छात्राओं को उपलब्ध करायी जाएंगी। इन समुदायों के छात्रों से कोई किराया नहीं वसूला जाएगा।

12. <u>स्टाफ आवास:</u>

स्टाफ क्वार्टरों, पारगमन आवासों, शिक्षक छात्रावासों आदि हेतु आरक्षण की प्रतिशतता आरक्षण की मात्रा के आनुपातिक होगी, जैसा कि उपरोक्त अुनच्छेद 7 में निर्दिष्ट है।

13. <u>संपर्क अधिकारी:</u>

प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्थान एक संपर्क अधिकारी को नियुक्त करेगा जो कि संबद्ध राज्य अथवा केन्द्र सरकार के उप सचिव के पद से कम नहीं होगा तथा जो इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत आरक्षण के क्रियान्वयन के परिवीक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

14. <u>अजा/अजजा प्रकोष्ठ:</u>

उपरोक्त अनुच्छेद 6 की उपधारा (ए) में जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों को दर्शाया गया है, वे एक अजा/अजजा प्रकोष्ठ की स्थापना करेंगे, ताकि इन समुदायों के सदस्यों की शिकायतों पर कार्रवाई की जा सके। अजा/अजजा प्रकोष्ठ का क्रियान्वयन उस संपर्क अधिकारी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत होगा।

15. <u>सलाहकार समितियाँ:</u>

अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशियों के दाखिलों में आरक्षण नीति एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा परीक्षाओं में उनकी सफलता हेतु सलाहकार समितियाँ

गठित की जाएंगी, माननीय कुलपति/प्राचार्य जिसके अध्यक्ष होंगे। इस समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार होगी तथा उसमें लिए गए निर्णयों की आगामी बैठक में समीक्षा की जाएगी।

16. <u>विश्वविद्यालय के मौजूदा अधिनियमों एवं सांविधियों में संशोधन:</u>

विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे अधिनियमों/सांविधियों में ऐसा संशोधन हो ताकि दाखिले में आरक्षण, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्तियाँ एवं सिंडीकेट कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, चयन समितियाँ इत्यादि निकायों में अजा/अजजा को सांविधिक समर्थन एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।

17. <u>विविध:</u>

उपरोक्त नीतिगत दिशानिर्देशों को अजा/अजजा संबंधी आरक्षण नीति के अनुपालन हेतु संक्षेप में निर्दिष्ट किया गया है। विश्वविद्यालय/संस्थान, स्वतंत्र रूप से शासी निकायों/कार्यकारी परिषदों आदि की अनुमति से इन वर्गों को अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकते हैं।

.....